न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 36 / 2017 (धारा 76 भू राजस्व अधि01956) (R.C.M.S . no 2017/00042)

रेवती पुत्र निरोती जाति जाटव निवासी रहीमगढ तहसील वैर जिला भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. कपूर पुत्र सुखपाल
2. कमलेश पुत्री सुखपाल

} जाति जाटव निवासी रहीमगढ तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्टस

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध अपील संख्या 26 / 15 कपूरचंद बनाम रेवती निर्णय दिनांक 9.12.2016 द्वारा अति0 जिला कलक्टर भरतपुर व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 555 दिनांक 23.6.1993 द्वारा तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री देवीसिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम वकील रैस्पोडेन्ट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः– 27.3.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 9.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी के संदर्भ में तहसीलदार वैर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 555 वसीयत दिनांक 20.12.1990 के आधार पर धूपा वेवा खच्ची के स्थान पर अपीलान्ट रेवती पुत्र निरोती के नाम स्वीकृत किया गया। जिससे व्यथित होकर रैस्पोडेन्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपील पेश की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9.12.2016 पारित करते हुये अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 555 दिनांक 23.6.1993 निरस्त किया गया साथ ही परीक्षण न्यायालय को यह निर्देश दिये गये कि वे सक्षम न्यायालय में विचाराधीन दावे के निर्णय उपरानत निर्णयानुसार उभयपक्षकारान को विधिवत सुनकर गुणावगुण के आधार पर ही नामान्तरकरण के संदर्भ में न्यायसंगत आदेश पारित करें। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।.

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि रैस्पोडेन्ट द्वारा जो अदालत तहत में अपील पेश की थी वह नामान्तरकरण संख्या 555 तारीख 23.6.1993 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। रैस्पोडेन्ट की उम्र अपील पेश करते समय 40 व 38 वर्ष है। यदि वे 23.6.1993 के आदेश से व्यथित थे तो उन्हौने पहले अपील पेश क्यों नहीं की। इस देरीना का रैस्पोडेन्टस ने कोई उचित कारण नहीं दिया है फिर भी अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपील का फैसला अदालत तहत द्वारा किया है जो कानूनन गलत है। यह कि रैस्पोडेन्टस कपूर वगैरह द्वारा एक रेवेन्यू वाद कपूर वगैरह बनाम रेवती के उनवान का एस0डी0ओ0 वैर की अदालत में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारों के हक का विनिश्चय होना है तथा रैस्पोडेन्टस द्वारा जो अपील अदालत तहत में पेश की थी वह सरसरी प्रकिया है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण के विरूद्ध जो रैस्पोडेन्टस ने अपील पेश की है वह संधारण योग्य ही नहीं थी। यह कि रैस्पोडेन्टस ने अदालत तहत मेंजो अपील पेश की है उस अपील में सजरा दिया हुआ है जिसमें अपीलान्ट को खच्ची का पुत्र बताया है जबकि अपीलान्ट खच्ची का पुत्र न होकर निरोती का पुत्र है। धूपी द्वारा जो वसीयत अपीलान्ट के हक में की है उसमें भी अपीलान्ट को निरोती का ही पुत्र बताया है। इसके अलावा रैस्पोडेन्ट विवादित खसरा नम्बरान को खच्ची की आराजी बताकर आये हैं जबकि विवादित आराजी खच्ची की न होकर रत्ती की है। रैस्पोडेन्टस द्वारा अदालत तहत में जो जमाबन्दी पेश की है उनमें खच्ची की आराजी अलग है तथा रत्ती की आराजी अलग है। रैस्पोडेन्टस खच्ची के वारिसान है न कि रत्ती के, ऐसी स्थिति में रत्ती द्वारा छोडी गई आराजी रैस्पोडेन्टस की पैतृक आराजी नहीं है। यह कि खच्ची की जो आराजी थी उसका इन्तकाल खच्ची की मृत्यु के बाद रैस्पोडेन्ट के पिता सुखपाल के नाम हुआ है तथा वह आराजी आज भी रैस्पोडेन्ट के पास है। इस संदर्भ में जमाबन्दी सम्बत 2023 लगायत 2027 को देखा जाये तो यह स्पष्ट हो जवेगा कि खच्ची की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सुखपाल के नाम खातेदारी का इन्द्राज हुआ था। जमाबन्दी सम्वत 2025 के मुताबिक खच्ची खसरा नम्बर 265, 277, 258, 259, 260, 261, पर बतौर खातेदार था। यह कि रैस्पोडेन्टस द्वारा जो यह तथ्य अदालत में प्रस्तुत किया है कि रैस्पोडेन्ट नावालिग थे तथा मां ने दूसरी जगह शादी कर ली पिता फौत हो चुका था बिल्कुल गलत है न तो सुखपाल रैस्पोडेन्ट को नावालिग स्थिति में छोडकर फौत हुआ और ना ही रैस्पोडेन्टस की मां ने अन्य किसी से शादी की थी। तहत अदालत में यह गलत तथ्य पेश किये गये थे। यदि रैस्पोडेन्टस का पिता रैस्पोडेन्टस को बचपन में ही छोड कर फौत हो गया था तो रैस्पोडेन्टस को उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र अथवा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश करना चाहिऐ जो नहीं किया गया। यह कि रैस्पोडेन्टस ने नामान्तरकरण संख्या 555 के विरूद्ध अदालत तहत में यह मानकर अपील प्रस्तुत की थी कि विवादित आराजी खच्ची की आराजी है, परन्तु रैस्पोडेन्टस ने जो जमाबन्दी अदालत तहत में प्रस्तुत की है उसमें विवादित भूमि खच्ची की नहीं है। रैस्पोडेन्टस ने कोई भी रिकार्ड खच्ची की भूमि होने का प्रस्तुत नहीं किया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का आदेश दिनांक 9.12.2016 निरस्त किया जावे।

Web Copy - Not Official

वकील रैस्पोडेन्टस द्वारा तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.12.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर एवं बाद परीक्षण ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रकरण की वास्तविकता यह है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का पिता सुखपाल फौत हो चुका है। सुखपाल के हिस्सा की आराजी रैस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के नाम आई लेकिन उस समय रैस्पोडेन्टस नावालिग थे उनकी माता दरबी ने दूसरी जगह शादी कर ली जिस कारण रैस्पोडेन्टस के नाम इन्द्राज नावालगी में आये व उनकी वली दादी धूपी पत्नी खच्ची जो अपीलान्ट के पिता सुखपाल की माता थी को वली बनाकर के रैस्पोडेन्टस को उनके पिता सुखपाल के हिस्सा की आराजी विरासत में रैस्पोडेन्टस के नाम आई। यह कि रैस्पोडेन्टस की दादी जो कि वली थी ने एक वसीयतनामा अपीलान्ट के हक में दिनांक 20.12.1990 को कर दिया जबकि वली को रैस्पोडेन्टस की खातेदारी आराजी का वसीयत करने का कोई अधिकार ही नहीं था क्यों कि धूपी तत्समय नावालिग रैस्पोडेन्टस की केवल एक सरंक्षक थी और एक सरंक्षक को नावालिग के हक की विरासतन भूमि को खुर्द बुर्द करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वैसे भी आराजी पैतृक थी और कानून में कोई भी व्यक्ति पैतृक आराजी की वसीयत नहीं कर सकता है। यह कि इस वसीयत के आधार पर त्रुटीपूर्ण नामान्तरकरण संख्या 555 दिनांक 23.6.1993 खोला गया जिसके जरिये समस्त आराजी अपीलान्ट के नाम चली गई। जो कतई न्यायोचित नहीं है। इस नामान्तरकरण का जब तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया गया तो यह पाया कि दौराने स्वीकृति नामान्तरकरण न तो परीक्षण न्यायालय द्वारा कोई जांच की गई ना ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना की गई ऐसी सूरत में तहत अदालत ने अपीलधीन आदेश दिनांक 9.12.2016 पारित किया गया जो कानून के दायरे में गुणावगुण के अधार पर ही पारित किया गया है। इसके अलावा विवादित आराजी खसरा नम्बर 310, 312, 313, 314, 315, किता –5 रकबा 17 बीघा 10 विस्बा में से 1/2 भाग के खातेदार रैस्पोडेन्टस के बाबा खच्ची थे जिनके फौत होने के बाद आराजी विरासतन धूपी वेवा खच्ची, सुखपाल पुत्र खच्ची, रेवती पुत्र खच्ची के नाम विरासत में आई। रैस्पोडेन्टस के पिता सुखपाल फौत हो चुके थे माता दरबी खानन्दाज हो चुकी थी स्वयं रैस्पोडेन्टस नावालिग थे ऐसी स्थिति में रैस्पोडेन्टस को उनके विरासतन हक हकूकों से कतई महररूम नहीं किया जा सकता। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश विधि संगत होने के कारण यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 555 दिनांक 23.6.1993 के कॉलम संख्या 14 व 16 के अवलोकन से यह जाहिर है कि यह नामान्तरकरण मुताबिक वसीयतनामा दिनांक 20.12.1990 जो मु0 धूपी वेवा खच्ची के द्वारा रेवती के हक में की गई है के आधार पर स्वीकृत किया गया है। इस बात से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता कि नामान्तरकरण में अंकित आराजी मृतक खच्ची द्वारा छोडी गई पैतृक आराजी है और यह भी सर्वविदित है कि पैतृक आराजी की

Web Copy - Not Official

वसीयत अपने हक/हिस्से तक ही की जा सकती है। वास्तव में इस प्रकरण में रैस्पोडेन्टस की दादी धूपी पत्नि खच्ची जो तत्समय नावालिगान रैस्पोडेन्टस की सरपरस्त/संरक्षक थी के द्वारा रैस्पोडेन्टस के हक की विरासतन आराजी की वसीयत अपीलान्ट के हक में किया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। क्यों कि इस वसीयत के माध्यम से रैस्पोडेन्टस जो मृतक सुखपाल पुत्र खच्ची के विधिक वारिस है को उनके विरासतन हक–हकूकों से महरूम किया जा सकता है। नामान्तरकरण संख्या 555 दिनांक 23.6.1993 के आस्तित्व में बने रहने से विवादित आराजी के रहनवय मुन्तकिल होने अथवा खुर्दबुर्द होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य बहुवाद को बढावा मिलता है। इसके अलावा उभयपक्षकारान इस तथ्य की भी ताईद करते है कि उपखण्डाधिकारी वैर के समक्ष नियमित दावा उनवानी कपूर वगैरह बनाम रेवती विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के हक का विनिश्चय होना शेष है। इन्हीं उपर्युक्त तथ्यों के मध्यनजर तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें हम कोई विधिक त्रृटी नहीं पाते है। चूंकि उपखण्डाधिकारी वैर के समक्ष नियमित वाद विचाराधीन है जिसके तहत पक्षकारान अपने स्वत्व हासिल करने हेतु स्वतन्त्र रहते है। लिहाजा तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.12.2016 में कोई विधिक त्रुटी न पाये जाने के कारण यह अपील खारिज योग्य ही रहती है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.12.2016 में कोई विधिक त्रुटी न पाये जाने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.3.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official